<u>संख्या- 59 /2026/001-1412-81-4-26</u>

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2026

विषय:- <u>वित्तीय वर्ष 2026-27 में ''संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धन'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी कराये जाने के सम्बंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या- पी-54/36-टी-77(**संरक्षित क्षेत्र**) दिनांक 10.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में वित्तीय वर्ष 2026-27 में ''**संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धन** '' योजनान्तर्गत आय व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 250.00 लाख **(दो करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें :-</u>

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल एवं प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्यवता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. योजनान्तार्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
3. योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का आवंटन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र दिनांक 10.07.2026 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
7. इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति/ स्थलीय निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जाय।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकताऐं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगें।
11. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्यमद में किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्याक्ष, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2406021101500 (संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	2406021101500	02	3,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	मजदूरी	(रुपये तीन लाख मात्र)
2	060	2406021101500 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	060	2406021101500 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
4	060	2406021101500 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	060	2406021101500 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	29 अनुरक्षण	95,00,000 (रुपये पंचानबे लाख मात्र)
	कुल			**1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4406021100900 (संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	4406021100900 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	060	4406021100900 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,20,00,000 (रुपये एक करोड़**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				बीस लाख मात्र)

महायोग	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 59(1)/2026/001-1412-81-4-26, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी- 1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।